

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गढ़वा।

(जिला सामान्य शाखा)

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-01/2024

गढ़वा जिला अन्तर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

(आवेदन करने की अंतिम तिथि- 10.08.2024)

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा याचिका W.P (S) No-4362/2022 भगवान महतो- बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.07.2023 को पारित आदेश, W.P (S) No-960/2018 सलन चम्पिया एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य में दिनांक-23.07.2018 को पारित आदेश, W.P (S) No-3040/2020 में दिनांक-19.01.2021 को पारित आदेश एवं W.P (S) No-2032/2020 में दिनांक- 23.11.2020 को पारित आदेश तथा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-2032, दिनांक-07.04.2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली, विभागीय अधिसूचना संख्या- 4998, दिनांक-19.09.2019 एवं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पत्र संख्या-अ0स0प0 संख्या-17/कोर्ट केस-10/2019 522, दिनांक-29.01.2020 के द्वारा प्राप्त निर्देश तथा सरकार के संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्र सं0-3910/दिनांक-27.06.2024 निदेश के आलोक में गढ़वा जिला में ग्रामीण चौकीदार के कुल-94 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पद का नाम- चौकीदार

2. रिक्त पदों की संख्या- 94

कोटि	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
रिक्त	35	06	शून्य	39	शून्य	14	94

3. आरक्षण :- आरक्षण का आधार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा जिला स्तरीय मुफसिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के निमित्त निर्गत संकल्प सं0 1617 दिनांक 17.03.2023।

क्षैतिज आरक्षण :-

(i) पर्यटन कला संस्कृतिक खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 के आलोक में निर्धारित खेल-कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद क्षैतिज के रूप से आरक्षित होगा।

(ii) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-2249, दिनांक 03.04.2016 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। चौकीदार नियुक्ति नियमावली 2015 के कंडिका 09 के आलोक में निःशक्त जनों को आरक्षण अनुमान्य है अथवा नहीं, तत्संबंधी मार्गदर्शन सरकार से मांग की जा रही है। मार्गदर्शन के अनुरूप इसके अनुमान्यता पर निर्णय प्रभावित होगा।

(iii) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555, दिनांक 28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटि में से 2% पद क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति को अनुमान्य होगा।

(iv) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-8281, दिनांक 03.12.2021 के आलोक में महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज आरक्षित होगा।

शैक्षणिक योग्यता:- चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होगी।

चरित्र :- अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं अपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र प्रमाण-पत्र स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4. उम्र सीमा :- (आयु की गणना- 10.08.2024 को)

(क) न्यूनतम उम्र सीमा:- 18 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा:-

क्र० सं०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा
1	अनारक्षित	35 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

नोट:- विभागीय पत्रांक-307/रांची, दिनांक-16.01.2023 के अनुसार पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों (माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित/आच्छादित) के लिए उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है।

5. अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।

(रिक्त पदों का बीट संख्या एवं सम्बद्ध ग्रामों की सूची संबंधी परिशिष्ट संलग्न)

6. अभ्यर्थी को साईकल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा।

7. **नियुक्ति प्रक्रिया :-** चौकीदार के कुल 94 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त किये जायेंगे। विहित प्रपत्र जिला का अधिकृत Website:-www.garhwa.nic.in से Download किया जा सकता है।

(क) लिखित परीक्षा:— लिखित 50 अंकों की ली जायेगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जायेगी।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 (पचास) बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिए एक घण्टे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(ख) शारीरिक माप:— अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा।

उँचाई (न्यूनतम)

(i) सामान्य	160 सेंटी मीटर
(ii) पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	160 सेंटी मीटर
(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	155 सेंटी मीटर
(iv) महिलाओं के लिए	148 सेंटी मीटर

(ग) शारीरिक जाँच:— लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मील का दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जाँच में निम्न आधार पर अंक दिये जायेंगे।

एक मील की दौड़	समय	अंक
(i) पुरुषों के लिए	05 मिनट या पहले	20 अंक
	05 मिनट के बाद 06 मिनट तक (अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	10 अंक
(ii) महिलाओं के लिए	08 मिनट या पहले	20 अंक
	08 मिनट के बाद 10 मिनट तक (अधिक समय लेने वाले निरर्हित समझे जायेंगे)	10 अंक

नोट:— माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा याचिका W.P (S) No-980/2016 सलन चम्पिया एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य में दिनांक-23.07.2018 को पारित आदेश W.P (S) No-3040/2020 में दिनांक-19.01.2021 को पारित आदेश एवं W.P (S) No-2302/2020 में दिनांक-23.11.2020 को पारित आदेश के आलोक में चौकीदार नियुक्ति नियमावली में संशोधन सम्बंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-4998, दिनांक-19.09.2019 के तहत पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के लिए Weightage प्रदान की जायेगी। माननीय

उच्च न्यायालय के न्यायादेश से उदभूत एवं प्रभावित/अच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित सम्पुष्टि के उपरान्त, 02 अंक प्रत्येक पूर्ण 01 (एक) वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा।

नोट :- लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप/जाँच का आयोजन उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

नोट :- मेधा सूची- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक योग्य के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

नोट:- चिकित्सा परीक्षण-नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदण्ड के आधार पर अभ्यर्थियों के योग्य पाये जाने पर ही नियुक्ति किया जायेगा।

नोट:- परिवीक्षा :- चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जायेगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। वर्द्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।

नोट:- वेतनमान:- चौकीदार का षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान-पी0बी0-01-5200-20200 ग्रेड वेतन-1800

10. आवेदन करने की प्रक्रिया:-

(क) उपरोक्त योग्यता सह-अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण-पत्रों की स्वः अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण- पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्वः अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक- 10.08.2024 तक संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन निबंधित डाक से जमा कराया जा सकता है। दिनांक- 10.08.2024 अपराह्न 05:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।

(ग) आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का विवरण— चौकीदार पद हेतु आवेदन अंकित कर केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा जायेगा। किसी भी स्थिति में हाथों-हाथ आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे।

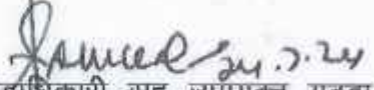
(घ) अन्य विवरणी जिला का अधिकृत Website:-www.garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है तथा प्रपत्र को Download किया जा सकता है।

परीक्षा शुल्क के संबंध में अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग-200/- रु० एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति-100/- रु० का भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट जो उपायुक्त, गढ़वा के पदनाम से भुगतने होगा, संलग्न करना अनिवार्य है।

(ड.) परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जायेगी।

(च) आवेदन भेजने का पता निम्न है :-

पता—उपायुक्त, गढ़वा का कार्यालय जिला सामान्य शाखा, गढ़वा नया समाहरणालय भवन, ब्लॉक—C, Ground Floor कमरा सं० 131 पिन—822114 (झारखण्ड)
उक्त विज्ञापन में निहित शर्तें, सरकार द्वारा प्राप्त निदेश अथवा माननीय न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित होगा।


जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त, गढ़वा
—सह—अध्यक्ष, नियुक्ति समिति,
गढ़वा।